अधिसूचना सं0 9/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि.   (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 117(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(i) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"28क	420321	क्रीडा में उपयोग के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए दस्ताने

(ii) क्रम संख्या 58 के सामने स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वैद्युत मोटरों से प्रचालित सिलाई मशीनों, चाहे वह उसमें निर्मित हो या बाडी से संलग्न योग्य हों, से भिन्न सिलाई मशीनें " ;

(iii) क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 117(अ) तारीख 1 मार्च 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 8 मई, 2013 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2013-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सं. सा.का.नि. 295(अ), तारीख 8 मई, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।